

५ अक्टूबर २४/२०२३

<p>तारीख हुकम</p>	<p>सुप्रीम कोर्ट का हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>12/2/24</p>	<p>पत्रावली पेवा हुआ। अधिवक्ता आपी अप. आपी। अधिवक्ता ने कहल ने पार्षता-पत्र में अंकित लक्षणों का खाला देते हुए डिफेंस में थुफि हल निवेदन किया। पार्षता-पत्र के आवलोकन, अधिवक्ता के कहल पर मतल तथा मूल पत्रावली के अधिवक्ता बाद जो लि हुकम कि थु बाद पत्र में वादी जण 1 व 2 में पता का अधिवक्ता अंकित न होना बॉलवाड़ा के अतः - पार्षता का पता का अधिवक्ता की जण्ड बॉलवाड़ा भेज जाना दुखित है। आपी आपी का पार्षता-पत्र 84-47 लीला र जाका उमरापुरा थुफि कोठे के अधिवक्ता दिये जाने मूल निर्णय के डिफेंस के उमरा - उमरा अंक लाल लपकी से अंक किया जावे। पत्रावली के मल थुफा से गवा से कर की जाना 5) जिल दफ्तर है। निर्णय लिखत जाका सुप्रीम जण्ड 1/24</p>	